

Today/Fax

संख्या : ३१८७ / १-१०-२०१२-१२(५३) / १२

प्रेषक,

एल० वेंकटेश्वर लू
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

जिलाधिकारी
शाहजहांपुर ।

राजस्व अनुभाग-10

ਲਖਨਾਂਤ : ਦਿਨੋਕ : 16 ਜਨਵਰੀ, 2013

राजस्व अनुभाग-10
विषय: वर्ष 2011 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों की
मरम्मत/पुनर्स्थापना/मरम्मत हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनावंटन।

महोदय,

महोदय,
उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1068 / सी0आर0ए0 (आपदा) / 11 -12, दिनांक
11-12-2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2011 की बाढ़ एवं
अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों की मरम्मत / पुनरस्थापना हेतु दिनांक 24-10-11 को
आपकी अध्यक्षता में जनपद शाहजहांपुर में क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के संबंध में हुई
जिला आपदा राहत समिति की बैठक के संशोधित कार्यवृत्त में उल्लिखित विवरणानुसार
अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड-1,लो0नि0वि0 के प्रस्तावित 6 कार्य,जिनकी लागत 50 लाख से
अधिक दर्शायी गयी है एवं सिंचाई विभाग,शारदा नगर का एक कार्य,जिसकी लागत 206.27 लाख
दर्शायी गयी है,जो कमशः आपके क्षेत्राधिकार की परिधि से ऊपर मण्डल स्तरीय आपदा राहत
समिति के क्षेत्रान्तर्गत एवं उ0प्र0राज्य आपदा समिति के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सम्मिलित किये
गये हैं,को छोड़कर शेष प्रस्तावित कार्यों हेतु मांगी गयी कुल धनराशि रु0 10,58,77,000/- के
सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि के रूप में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में निम्नलिखित शर्तों एवं
प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रु0 5,29,38,500 /-(रुपये पांच करोड़ उन्तीस लाख अड़तीस
हजार पांच सौ मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान
करते हैं।

करते हैं।
2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक
के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण
राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर
- ते तां पा 42 अन्य द्वारा" के नामे डाला जायेगा।

रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय” के नामे डाला जायेगा।
3. वर्ष 2011 में आई बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिस्थितियों की आगामी वर्ष के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

जाय।
4. उक्त धनराशि का व्यय शा०प०सं०-७८ / पी०ए०स०आ०/२०१२, दिनांक २४.०१.२०१२ के साथ संलग्न पत्र संख्या- ३२-७/२०११-NDM-1, दिनांक १६.०१.२०१२ में भारत सरकार की

गाइडलाइंस में निर्धारित एवं अह मानक मदों एवं शासनादेश सं0 2785 / 1-10-2011-
12(73) / 2008 दिनांक 14.10.2011 के अनुसार किया जायेगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त धनराशियां केवल उन्ही सार्वजनिक परिसम्पत्तियों
के पुनःनिर्माण पर व्यय की जायेगी जो कि 16 जनवरी, 2012 से पूर्व वर्ष 2011 की बाढ़ से
क्षतिग्रस्त हुई है और जिनके बारे में Project Sanction की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली
गई हैं।

5. वर्ष 2011-12 की बाढ़/बादल फटने से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की
तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को 30 दिन व अधिकतम 45 दिन में
अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाये। आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी
द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया को अनुपालन
सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य
परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं
किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

6. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी
सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली
जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की
जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन
जाती है। उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को
उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को
निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से
प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया
जाय।

7. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा
जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार
मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693 / 1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20 जून, 2005
द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि
तक इसे राहत वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया
जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते सम्भावित हों तो उन्हें दिनांक 31 मार्च,
2013 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

8. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के
प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया
जाय।

9. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और
प्रत्येक माह में महालेखाकर कार्यालय से आकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को
सूचित किया जाय।


भवदीय,
(एल० वेंकटेश्वर लू)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या ३१४८०/ १-१०-२०१२-१२(१) / २०१२ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— महालेखाकार—प्रथम / आडिट प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद
- 2— आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
- 3— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- ✓ 5— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
- 6— मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, शाहजहांपुर।
- 7— वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग—५।
- 8— समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग—१० / राजस्व अनुभाग—६ / ११, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9— निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, उ०प्र० शासन।
- 10— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(राम चन्द्र)
विशेष सचिव।

6